न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका)

वाद संख्या :– 12/04/2018

1. मीठाराम पुत्र श्रवण जाति माली निवासी ग्राम धमरेड तहसील राजगढ – अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत धमरेड जरिये सरपंच
2. तहसीलदार साहब राजगढ – असल रेस्पोडेन्ट
3. किशनलाल पुत्र श्रवण जाति माली निवासी ग्राम धमरेड तहसील राजगढ
4. हाबू पुत्र श्रवण जाति माली निवासी ग्राम धमरेड तहसील राजगढ
5. बिमला पुत्री श्रवण जाति माली निवासी ग्राम धमरेड तहसील राजगढ – तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील इन्तकाल संख्या 603 वाके ग्राम धमरेड

निर्णय

दिनांक 29.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका पर पेश हुई। अपीलान्ट द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 824/1702/0.10, 825/0.24 है. वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ में स्थित है जिसका अपीलान्ट का पिता श्रवण खातेदार है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद उसके वारिस अपीलान्ट व उसके भाई किशनलाल, हाबू व बहिन बिमला बहिस्से बराबर प्राप्त हुई है जिसका विरासत का नामान्तकरण संख्या 603 दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम गलत बुद्धालाल दर्ज कर दिया जबकि श्रवण का बुद्धालाल नाम का कोई पुत्र नहीं है। सही पुत्र मीठाराम अपीलान्ट है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर बुद्धालाल के स्थान पर सही नाम मीठाराम दर्ज करने का निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब के आदेश दिए गए। रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत खोहदरीबा कैम्प कोर्ट के दौरान उपस्थित है। तरतीबी रैस्पोडेन्ट किशनलाल, हाबू व बिमला जो कि श्रवण के वारिसान व आराजी के खातेदार हैं के द्वारा भी शपथ पत्र पेश कर बुद्धाराम के स्थान पर मीठाराम दुरस्त करने पर सहमति दी है।

मैंने वास्ते निर्णय पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज इन्तकाल संख्या 603, जमाबन्दी 2072–75 खाता संख्या 90 वाके धमरेड, निर्वाचन नामावली 2014, भामाशाह कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड का भी अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकॉर्ड व शपथ पत्र अन्य सहखातेदारान से अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार योग्य पायी जाती है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलान्ट हाल आराजी खसरा नम्बर 824/1702/0.10, 825/0.24 है. वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 603 ग्राम पंचायत धमरेड की कार्यवाही निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार राजगढ को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो मृतक श्रवण के अन्य वारिसान के साथ बुद्धाराम के स्थान पर मीठाराम नाम दुरस्त बाबत् विधि अनुसार पुनः मृतक श्रवण के वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। प्रति निर्णय तहसीलदार राजगढ को पालनार्थ भिजवायी जावे। निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट नयागांवबोलका)